राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3865/2025

हरेन्द्र सिंह चौहान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्टार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, पाली।
4. फतेह सिंह, तहसीलदार, तह. देसूरी, जिला पाली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 26.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री विजय दत्त शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2003 में नायब तहसीलदार के पद पर हुई थी और उसके बाद वर्ष 2008 में तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुए। अपीलार्थी वर्तमान में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.2.2024 के अनुपालन में तहसील बाली (सही स्थान देसूरी) जिला पाली में कार्यरत हैं। अपीलार्थी वर्तमान नियुक्ति स्थल पर लगभग 18 माह से कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 6.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के तहसील देसूरी, जिला पाली से तहसीलदार चुनाव, जिला सवाई माधोपुर के कार्यालय में केवल प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित करने के लिए स्थानांतरित किया गया था। जबकि अपीलार्थी 31.05.2026 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला है, जिसमें 9 महीने की अवधि शेष है। आक्षेपित आदेश दिनांक 06.08.2025 के अनुपालन में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 8.8.2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया था। (अनुलग्नक–2) दिनांक 6.8.2025 के आक्षेपित आदेश में अपीलार्थी का नाम गलत लिखा गया है। सेवा अभिलेखों के अनुसार, अपीलार्थी का सही नाम हरेन्द्र सिंह चौहान है, जबकि आक्षेपित आदेश में अपीलार्थी का नाम हरेन्द्र सिंह रावत लिखा गया है। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या

3074/2024, जिसका शीर्षक मंजू बनाम राजस्थान राज्य था, में आदेश दिनांक 01.03.2024 के द्वारा ऐसे आदेश को अनुचित माना और उसे रद्द कर दिया। (अनुलग्नक–3) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने डॉ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 2003 (1) 438 में किसी को समंजित या समायोजित करने के आशय से जारी आदेश को अपास्त योग्य माना है। आलौच्य आदेश निजी प्रत्यर्थी 4 को समंजित करने की दृष्टि से जारी किया गया है। अपीलार्थी की जन्म सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–4) के अनुसार 08.05.1966 होने से सेवानिवृति 31.05.2026 है। सेवाकाल मात्र 9 माह का समय शेष है। डॉ. श्रीमती पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील अधिकरण एवं अन्य 2001 (1) आरएलआर 398 में निम्न सिंद्धात प्रतिपादित किया गया हैः– "Ordinarily an employee should not be disturbed from the place of his posting when he is at the verge of retirement and he should be given sufficient time which may be two years or so, to plain peacefully his post retirement life. The Division Bench further held that any transfer contrary to this principle is malafide exercise of power."

अधिकरण ने अपील संख्या 2943/2025 सत्य प्रकाश टेलर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में सेवानिवृति में 7 माह शेष रहने के आधार पर स्थानान्तरण आदेश अपास्त किया है। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका एसबीसीडब्ल्यू पिटीशन संख्या 5308/2025 दायर की थी जिसे विद्धा कर लिया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 6.8.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 8.8.2025 (अनुलग्नक–1 और 2) को निरस्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को नियमित वेतन और अन्य लाभों के साथ तहसील देसूरी, जिला पाली, राजस्थान में तहसीलदार के पद पर निरंतर कार्यरत रखे जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2003 में नायब तहसीलदार के पद पर हुई थी और वर्ष 2008 में उसे तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 06.08.2025 न्यायोचित एवं उचित है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.08.2025 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। विभाग द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में प्रशासनिक सुधार विभाग से शिथिलन लेने के पश्चात् स्थानांतरण किए गए। अपीलार्थी को तहसीलदार, देसूरी, जिला पाली के पद से तहसीलदार निर्वाचन, जिला सवाई माधोपुर के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया था। तत्पश्चात, तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुए श्री फतेह सिंह को तहसीलदार, देसूरी, जिला पाली के पद पर नियुक्ति दी गई तथा श्री फतेह सिंह ने

तहसीलदार, देसूरी, जिला पाली के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्व विभाग में हुई पदोन्नतियों के कारण किया गया है तथा नवनियुक्त तहसीलदारों को पदोन्नत पदों पर पदस्थापित करने के लिए पूर्व से पदस्थापित तहसीलदारों का स्थानांतरण किया जाना आवश्यक है, अतः अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया। अपीलार्थी का नाम सही लिखा गया है, हरेंद्र सिंह वही व्यक्ति है जो देसूरी, जिला पाली में तहसीलदार के पद पर तैनात है। तहसीलदार का पद एक महत्वपूर्ण पद है, यह कोई सामान्य पद नहीं है, उपनाम में त्रुटि से कोई अवैधानिकता नहीं हो सकती। यह सर्वविदित है कि टाइपिंग/लिपिकीय त्रुटि से स्थानांतरण आदेश अमान्य नहीं हो सकता। तहसीलदार के पद की वरिष्ठता राज्य स्तर पर होती है, अतः वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन का दावा नहीं कर सकता। प्रशासनिक और सार्वजनिक कारणों से कर्मचारी को किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करना नियोक्ता का कार्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 2323/2023, जिसका शीर्षक हिमेश भावसार बनाम राजस्थान राज्य है, में दिनांक 16.03.2023 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया हैः—

''चूंकि याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए प्रशासनिक आवश्यकता के कारण उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। याचिका में उठाए गए आधार प्रतिवादी और विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश पर न तो कोई दुर्भावना का आरोप लगाया गया है और न ही इस आधार पर आपत्ति की गई है कि स्थानांतरण आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम नहीं है। 14—01—2023 के स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि 151 व्यक्तियों को स्थानांतरित किया गया है और याचिकाकर्ता को अकेले नहीं चुना गया है।''

आदेश संख्या 9839 दिनांक 06.08.2025 द्वारा लगभग 266 स्थानांतरण/पदोन्नति की गई है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिवादी द्वारा किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकता के तहत पारित एक आदेश है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक आवश्यकता के लिए, यदि कोई कर्मचारी स्थानांतरणीय पद पर है, तो प्रशासनिक आवश्यकता के तहत राज्य द्वारा किए गए स्थानांतरण में बाधा न डालने के लिए न्यायिक समीक्षा का सीमित प्रयोग किया जा सकता है।

अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15308/2025 दायर की और कुछ समय तक बहस करने के बाद मामला वापस ले लिया गया। उचित न्यायाधिकरण के माध्यम से उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता के साथ, रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया गया है। (अनुलग्नक आर–1) स्थानांतरण सेवाकाल की एक घटना है और कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी विशेष तैनाती स्थान पर नियुक्ति का अधिकार नहीं जता सकता। प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित के अनुसार किसी कर्मचारी का स्थानांतरण/पदस्थापन करना सरकार का विशेषाधिकार है और जनहित में किए गए स्थानांतरणों में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत कम होती है। केवल एक वर्ष के भीतर आगामी सेवानिवृत्ति ही प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती। प्रशासन और आम जनता का हित ही सर्वोपरि है और इस आधार पर सरकारी कर्मचारी के प्रति उदारता स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, जब अधिकारी समूह 'A' का राज्य अधिकारी हो और यदि स्थानांतरण विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कारणों से हुआ है, तो उसे उक्त पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अबनी कांता रे बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य 1995 सप्लीमेंट (4) एससीसी 169 के मामले में यह कानून स्थापित किया है कि सेवा के दौरान हुए स्थानांतरण में न्यायालयों द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावना से प्रेरित या स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले किसी घोषित मानदंड या सिद्धांत का उल्लंघन न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गोबर्धन लाल 2004 11 एससीसी 402 के मामले में यह माना कि कोई भी सरकार कार्य नहीं कर सकती है यदि सरकारी कर्मचारी इस बात पर जोर देता है कि एक बार किसी विशेष स्थान या पद पर नियुक्त या तैनात होने के बाद वह ऐसे स्थान या पद पर तब तक बना रहे जब तक वह चाहे। हाल ही में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. के. नौशाद रहमान बनाम भारत संघ (2022) 12 एससीसी 1 के मामले में न्यायालय ने माना कि सेवा की आवश्यकता के आधार पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी को कहां और कैसे रखा जाना चाहिए और कर्मचारी की अपनी पसंद के स्थानांतरण या पोस्टिंग का अनुरोध करने की क्षमता न तो मौलिक अधिकार है और न ही यह निहित अधिकार है। अपीलार्थी ने राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा जारी दिनांक 06.08.2025 के आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उसे तहसीलदार, देसूरी पाली से तहसीलदार निर्वाचन, सवाई माधोपुर के पद पर रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त आदेश सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) से अनुमोदन प्राप्त करने और प्रशासनिक कारणों से प्रतिबंध अवधि के दौरान

स्थानांतरण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद जारी किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति के बाद तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया है और अपीलार्थी को रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता और सार्वजनिक हित पर विचार करने के बाद अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। तहसीलदार के पद पर पदोन्नत 100 से अधिक नायब तहसीलदारों को उनकी पहली पोस्टिंग पर स्थानांतरित/तैनात किया गया है और अपीलार्थी स्थानांतरणीय नौकरी से किसी भी प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है। अपीलार्थी किसी भी आधार को स्थापित करने में विफल रहा है जो 06.08.2025 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने का आधार हो सकता है। हरेंद्र सिंह चौहान के बजाय हरेंद्र सिंह रावत का नाम लिखने से स्थानांतरण अवैध नहीं हो जाता क्योंकि यह स्थानांतरण आदेश के साथ–साथ कार्यमुक्ति आदेश से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का पोस्टिंग स्थान सही ढंग से दिखाया गया है और केवल उपनाम को स्थानांतरण आदेश में गलत तरीके से लिखा गया है जबकि कार्यमुक्ति आदेश में, अपीलार्थी का नाम सही ढंग से लिखा गया है और प्रतिवादी नंबर 4 पहले ही 08.08.2025 को शामिल हो चुका है। जहां तक मई, 2026 में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के संबंध में कथनों का संबंध है। अपीलार्थी एक ग्रुप ए राज्य सेवा अधिकारी है और वह इस आधार पर किसी छूट का दावा नहीं कर सकता क्योंकि प्रशासनिक स्थानांतरण विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न आधारों पर जारी किए जाते हैं और न्यायालय प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित की स्थिति के बारे में सूक्ष्म जांच या जांच करने की स्थिति में नहीं हैं। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि 06.08.2025 का स्थानांतरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासनिक विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आधार और जनहित में जारी किया गया है, तब स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा याचिका के ज्ञापन में स्वयं के कथन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी पिछले 18 महीनों से अधिक समय से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर तैनात है और अब वह दिनांक 06.08.2025 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह पूर्णतः प्रशासनिक आदेश है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर बनाम स्वाति भटनागर के मामले में दिनांक 02.09.2020 को इस मुद्दे पर निर्णय दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि जब व्यक्ति पहले ही पदभार ग्रहण कर चुका है और अन्य कर्मचारी कार्यमुक्त हो चुका है, तो स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है। (अनुलग्नक आर–2) जहां तक स्थानांतरण आदेश केवल प्रतिवादी संख्या 4 को समायोजित करने के लिए जारी करने का है। दिनांक 06.08.2025 के स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि 260 से

अधिक तहसीलदारों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं और 100 से अधिक तहसीलदारों को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासनिक विभाग (GAD) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पदोन्नति पर तैनाती दी गई है, इसलिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की समायोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दिनांक 06.08.2025 के स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी का नाम हरेंद्र सिंह चौहान के बजाय हरेंद्र सिंह रावत लिखा गया है, हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल उपनाम गलत लिखा गया है, जो दिनांक 06.08.2025 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता। अपीलार्थी द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता क्योंकि उद्धृत मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी का नाम श्रीमती मंजू था। जबकि स्थानांतरण आदेश श्रीमती अंजुला का नाम गलत उल्लेख करके जारी किया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा उद्धृत मामला मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। तथ्य यह है कि दिनांक 06.08.2025 का आदेश पूर्णतः प्रशासनिक कारणों और जनहित में जारी किया गया है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन आदेश दिनांक 22.2.2024 के अनुपालन में तहसील देसूरीजिला पाली में तहसीलदार के पद पर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसीलदार चुनाव, जिला सवाईमाधोपुर में किया गया है। आलौच्य आदेश में उपनाम गलत अंकित होने से अपीलार्थी की पहचान अस्पष्ट नहीं होती है क्योंकि नाम एवं पदस्थापन स्थान सही है। जहां तक अपीलार्थी की राजकीय सेवा मात्र 9 माह शेष रहने के बावजूद एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की जन्मतिथी सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–4) के अनुसार 08.05.1966 है, जिसके अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2026 को नियत है। हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय श्रीमती मंजुला

पाठक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य सिविल याचिका संख्या 14577/2016 में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है। एसबीसीडब्ल्यू पिटीशन संख्या 3074/2024 मंजू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 प्रस्तुत किया है। अधिकरण का इन प्रकरणों में सदैव यह मत रहा है कि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर लोक सेवक का स्थानान्तरण जिले के बाहर नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलौच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 एवं 08.08.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत नियमानुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के अंदर करने हेतु स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य